राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

कमांक:स्थाई/भण्डार/2014/188 दिनांक : 13-8-2014

निविदा सूचना संख्या 1/2014–15

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर में आगामी एक वर्ष हेतु जनरल सामान की आपूर्ति हेतु मूल निर्माता, अधिकृत विकेता, बोनाफाईड डीलर्स एवं अन्य प्रतिष्ठित फर्मो से मोहरबन्द निविदाऍं आमंत्रित की जाती है।

खुली निविदा विवरण निम्न प्रकार है :

1.	कार्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर। (स्वास्थ्य भवन)
2.	निविदा का कार्य	जनरल सामान एवं कम्प्यूटर, बिजली, लकड़ी के सामान की सप्लाई
3.	निविदा की लागत (अनुमानित)	9 लाख रूपये (नौ लाख रूपये मात्र)
4.	अमानत राशि	18,000/– रूपये
5.	टेण्डर फार्म मिलने की अन्तिम दिनांक	09.09.2014 मध्यान्ह 1.00 बजे तक
6.	टेण्डर फार्म जमा कराने/प्रस्तुत करने की दिनांक	10.09.2014 मध्यान्ह 1.00 बजे तक
7.	टेक्नीकल बिड खोलने की दिनांक	10.09.2014 मध्यान्ह 3.00 बजे
8.	निविदा फार्म शुल्क	500/– रूपये

1. निविदाऍं निर्धारित निविदा फार्म में प्रस्तुत करनी होगी, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय से दिनांक 09.09.2014 को मध्यान्ह 1.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रूपये 500/– (अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) नकद/डीडी/बैंकर चैक द्वारा भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विभाग की वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in तथा sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। डाउनलोड कर प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि 500/– रूपये का अतिरिक्त डीडी/बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।
2. पूर्ण निविदा मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर **"जनरल सामान के लिए निविदा"** अंकित कर भण्डार अधिकारी (स्थाई) के पास दिनांक 10.09.2014 को मध्यान्ह 1.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा के साथ रूपये 18,000/– (अक्षरे अठारह हजार रूपये मात्र) की नगद जमा रसीद/डीडी/बैंकर चैक के रूप में जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में देय धरोहर राशि संलग्न की जानी आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाऍं दिनांक 10.09.2014 को मध्यान्ह 3.00 बजे टेक्नीकल बिड उपस्थित निविदादाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। वित्तीय बिड केवल तकनीकी बिड में योग्य पाई जाने वाली फर्मो की ही खोली जावेगी, वित्तीय बिड़ अलग से लिफाफे में बन्द की जानी हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज.जयपुर

D:\Tender Gen 2014-15.doc

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR

TENDER FORM FOR TECHNICAL BID

Tender for purchase of general items.to be used for office purpose

1. Name & Postal address of the firm submitting the tender (निविदा एवं संविदा की शर्त सं. 42 की पालना करें) **M/s** ____________________
   ____
2. Telephone Numbers ____________________
   a) Registered Office ____________________
   ____
   b) Head Office ____________________
   ____
   c) Jaipur Office ____________________
   ____
   d) Local Service centre ____________________
   ____
   e) Other ____________________
3. Address to **<u>Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur</u>**
4. Reference Tender No. Dated- ....
5. The tender fee amounting to Rs. 500/- has been deposited vide cash receipt/ Banker Cheque/ Demand Draft Number____________ dated _______ payable to Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number .... issued by the Director (P.H.), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
7. Goods will be delivered within a period of 15 days from the date of the receipt of firm order.
8. The rates quoted above are valid upto 3 Months from the date of the opening of the financial bid. The period can be extended with mutual agreement.

Name of Singnature of Tenderer
with Rubber Stamp

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते है कि मैंने/हमने जिन सामग्री/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिग/विपण एजेण्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता व मोहर
दूरभाष सं.

COMPUTER ITEMS, ELECTRICAL, WOODEN AND OTHER GENERAL ITEMS

PART – A TECHNICAL BID

Two Bids in separate sealed envelops for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, duly filled & marked ***"Technical/Financial Bid for general items to be used for office pupose"*** shall be submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Ground Floor, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624, 2388059		
3	E-mail	www.rajswasthya.nic.in		
		Date	Time	Place
4	Tender form can be obtained upto	09-09-2014	1:00 PM	DM&HS, Raj. Jaipur Room No.- B-11 (Basement) स्वास्थ्य भवन
5	Tender form can be submitted upto	10-09-2014	1:00 PM	
6	Opening of Technical Bids :-	10-09-2014	3:00 PM	

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened only for those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Signature of Tenderer with

Rubber stemp

Date :-

—: खुली निविदा के लिए निविदा एवं सविदा की शर्ते :—

टिप्पणी :— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाए भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदा प्रपत्र दो भागों मे है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड़ है। निविदाकार तकनीकी बिड एवं वित्तीय बड को अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द करें तथा इन दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाए सभी लिफाफों पर निविदा का नाम, खोलने कि तिथी एवं समय तथा निविदादाता का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के लिफाफे में वित्तीय दरों को किसी भी कारण से अंकित किया पाया गया तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

शर्त संख्या 1 (अ)

निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राईटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :—

1. पूरी धरोहर राशि (Earnest Money) की प्राप्ति ।
2. निविदा प्रपत्र यदि नेट से डाउनलोड किया है तो निविदा शुल्क की राशि का डी.डी.
3. हस्ताक्षरित निविदा शर्ते
4. प्रारूप एस.आर. 11 में घोषणा प्रमाण–पत्र (निविदाताओं द्वारा घोषणा)।
5. बिक्रीकर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण–पत्र (नवीनतम)
6. लघु उद्योग के मामलों के उद्योग विभाग द्वारा जारी स्थाई प्रमाण–पत्र एवं पी.पी.सी. निर्धारित प्रपत्र में। (प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)
7. सैम्पल (दो सैट में) जिनका कोई भुगतान देय नहीं होगा/सैम्पल/ठीक से पेक किया जाकर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सैम्पल उपलब्ध नही कराने की दशा में फर्म की निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा, उक्त में से किसी बिन्दु की सूचना संलग्न नही होने पर निविदा निरस्त करदी जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारो की वित्तीय बिड खोली जावेगी, जिसकी समय एवं तिथि से बाद में ऐसी योग्य निविदाकारो को सूचित किया जायेगा।

2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

3. **"वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ:–** निविदाएँ सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगें।

4. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबध में लिखित नामा प्रस्तुत नही कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5. **बिक्री कर/वेट पंजीयन एवं चूकती प्रमाण–पत्र :–** कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिकी कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिकी कर/वेट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा निविदा के साथ संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिकी कर/वेट चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

6. निविदःदाताओं को बिक्री कर/वेट पंजीयन संख्या एवं संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चुकती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं क्रम संख्या 1 से 44 तक की शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

8. दर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लधुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिकी कर एवं केन्द्रीय बिकी करों की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।

9. दरें गतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिकी कर/वेट को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरें में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते हैं, इसलिए उन पर चुंगी का भुगतान नही किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल नहीं करना

चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिये या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण–पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

10. (i) **दरों की तुलना**:– राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/VAT की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर (Central VAT) को इसमें शामिल किया जाएगा।

    (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करतें समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

11. **मूल्य अधिमान** :– (मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों के अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पी पी सी प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा)

12. **विधिमान्यता** :– वित्तीय निविदा उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

13. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

15. **विनिर्देश** :–

    (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहॉ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

    (ii) कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आइटम्स की वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहॉ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की

गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों,यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) वारंटी/गारंटी खण्ड :– निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/सामान/ वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 15 दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 15 दिनों/माहों कि उक्त अवधि में मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम या निर्णायक होगा), तो केता उक्त मालो/सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लधंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों और उपकरणों के मामलें में भी उक्त खण्ड (3) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारण्टी दी जाएगी तथा निविदादाता गांरटीकृत अवधि में पुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाए कि विनिर्माण की त्रृटि आदि के करण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता से निंबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाए, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

16. **निरीक्षण :–**

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालो/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते तथा टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर के साथ देगा जिससे उसे प्रंयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ठ हुए है, अपने बैकर्स से एक परिचय– पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. **नमूनें :–** अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूनें प्रस्तुत किए जायेगें । ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किय जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जावेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो मे नमूनें प्लास्टिक बॉक्स/ बैग्स (थैले) में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

18. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएगे।

19. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रंतिधारित करने के दौरान उनमें, प्रशिक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि कि समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समाहत् कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान टूट–फुट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूनें वापस नहीं लिए जायेगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. प्रदाया जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण या सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

22. **नमूने निकालना** :– परीक्षणों के मामलें में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएगों तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दिया जाएगें, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट सदंर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

23. **परीक्षण प्रभार** :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाया किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

24. रद्द करना :–

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुंए अनुमोदित नहीं कि जायेगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उनहे केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणेां से जो अभिलिखित किए जाएंगे। अनुमोदित दरों मे से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौति अन्तिम होगी।

25. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के

लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मुद्दे उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

26. निविदादाता उचित पैकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, रिसाव, टूट–फूट या लिकेज किसी कमी के होने के मामलें में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

27. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणो को अभिलिखित करेगा।

28. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

29. i) **सुपुर्दगी अवधि** :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :–

निर्धारित अवधि में आपूर्ति नही करने पर जी.एफ. एण्ड ए.आर. पार्ट–II के नियम 58(3) के अनुसार राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(ii) **मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना** :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेगें परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश

मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिये ही होगे। तथा ऐसे आदेश देने कि अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय

(iii) यदि केता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

30. जब एक बार सरकार और निविदादाता के बीच निविदा तय हो जावे तो निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक निविदा चालू रखनी पडेगी, जिसे समान दरों पर 6 माह तक के लिए बढाया जा सकेगा तथा निविदादाता इसके लिए बाध्य होगा तथा इससे आगे की अवधि आपसी सहमति के आधार पर छः माह तक और बढाई जा सकेगी तथा निविदा में दी गई दरें सम्पूर्ण अवधि तक लागू रहेगी चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाये, यदि किसी वस्तु पर नियंत्रण हो जाय और उसके लिए सरकार से अनुमति पत्र (परमिट) की आवश्यकता हो विभाग अनुमति पत्र की प्राप्ति में निविदादाता की सहायता करने का प्रयत्न करेगा बशर्ते की ऐसी सहायता सामग्री न देने की दशा में निविदा की शर्तो को पूरा करवाने से सरकार के अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न डाले, किन्तु सामग्री जुटाने व देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस निमित निविदादाता द्वारा किये गये किसी भी अतिरिक्त व्यय की हानि पूर्ति नहीं की जावेगी, उस दशा में भुगतान नियंत्रित दरों के अनुसार किया जावेगा चाहे टेण्डर की दरें कुछ भी हों।

31. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :–** (क) निविदा के साथ 18,000/– रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर) के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप से भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(i) नकद – शीर्ष " 8443 – सिविल निक्षेप – 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैक का ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

(ख) **ब याना राशि का प्रतिदाय :–** असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) **बयाना राशि से आंशिक छूट :–** उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग भवन, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का (विलोपित) निविदाये आमंत्रित करने की सूचना मे दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी। लघु औद्योगिक इकाईयो को निदेशक, उद्योग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये

लघु औद्योगिक इकाईयो को निदेशक, उद्योग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये स्थाई पंजीयन प्रमाण के आधार पर बयाना राशि के भुगतान करने से आंशिक छूट दी गई हैं और निविदा की संभावित राशि पर 1/2 प्रतिशत बयाना राशि देनी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता

नहीं है।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं के पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

32. **बयाना राशि का समपहरणः–** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

33. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : (प) सफल निविदादाताओं के आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रू0 1000/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाए स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशन के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि कि रूप में निम्न प्रकार होगे :'

(क) नगद/बैंक ड्रॉफ्ट/बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण–पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगां

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ठ हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

2. (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिये वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण–पत्र मूल रूप में या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें

3. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबधं में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

4. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

34. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो तो प्रदायकर्त्ता के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत कि दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. केवल बैक के माध्य से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि केता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

35. **बीमा :–**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएगे। यदि प्रदायकर्त्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन एवं नुकसान द्वारा या आग, बाढ मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे – युद्ध, विद्रोह, दंगों आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

36. **भुगतान**

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

(iii) विवदास्पद मदों मे सबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

37. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिनिर्धारित शास्ति :– परिनिर्धारित शास्ति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वूसली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा है :–

1. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
   (ख) ए क चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
   (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
   (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
3. परिनिर्धारित शास्ति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उस समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
5. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित शास्ति सहित या रहित की जा सकेगी।

38. **वसूलिया :–** परिनिर्धारित शास्ति, कम प्रदाय, टूट–फुट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल मे से कि जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फुट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदयकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित शास्ति के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी. डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

39. निविदादाताओ को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी चाहिए।

40. यदि निविंदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है तो इससे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

41. केता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकार्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

42. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाण्ति प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

43. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप– अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं होगा तथ उसका निर्णय अन्तिम होगा।

44. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
फर्म का नाम मय मोहर
दूरभाष नं./मोबाइल नं.
फैक्स नं.

कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटमस् की सूची

.... के लिए निविदा

निविदाकार का नाम एवं पता ....

तकनिकी बिड (भाग–I)

क्रमांक: दिनांक :

(अ) जनरल सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री / आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी / मेक का नाम
1.	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	100	
2.	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	50	
3.	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	200	
4.	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	150	
5.	दीवार घडी 1 x 1 फुट	20	
6.	इलेक्ट्रीक घंटी	20	
7.	रिमोट घंटी	10	
8.	गिलास कॉच	200	
9.	कप सेट बोन चाइना	50 सेट	

10.	केलकुलेटर 12 डिजीट	50	
11.	पंचिग मशीन मॉडल नं.पी–30	30	
12.	रूम परफ्यूम	50	
13.	स्टेपलर मशीन नं. 10	40	
14.	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	40	
15.	टेबिल ग्लास 3x2	60	
16.	सर्विस ट्रे मिडियम साईज प्लास्टिक	12	
17.	ताला बडी साईज 7 लीवर	60	
18.	थर्मस 1 लीटर	10	
19.	टी–कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट	
20.	तौलिया फुल साइज	100	

21.	नेपकिन	100	
22.	पेन्सिल सेल	300	
23.	टार्च 2 बड़े सैल की	12	
24.	पानी के केम्पर 5 लीटर	10	
25.	बरसाती	20	
26.	डाक बेग	10	
27.	कॉलीन	10	
28.	पाईप बण्डल प्लास्टिक 1/2 इंच	20	
29.	इलेक्ट्रीक टी केटली	10	
30.	टेंलीफोन इंस्ट्रूमेंट	50	
31.	एडजेस्टेबल टेबल टॉप स्टेण्ड	5	

32.	पचिंग मशीन हेवी ड्यूटी	5	
33.	स्टेपलर हेवी ड्यूटी	5	
34.	सिन्टेक्स टंकी के ढक्कन	24	
35.	फ्लोर बॉल 1/2 इंच (टंकियों में लगने वाली)	24	
36.	नल 1/2 इंच वॉश बेसिन	50	
37.	नल 1/2 इंच लॉग हेण्डिल	50	
38.	नल 1/2 इंच शॉर्ट हेण्डिल	50	
39.	लिक्वीड सोप 200 एमएल	30	
40.	हाथ धोने का साबुन 100 ग्राम	100	
41.	बर्तन धोने की टिकिया/ साबुन 100 ग्राम	100	
42.	बोतल 250एमएल चोड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300	

43.	बोतल 250एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300	
44.	बोतल 500एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
45.	बोतल 500एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
46.	प्लास्टिक जॉर 1 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
47.	प्लास्टिक जॉर 2 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	

नोट : क्रम संख्या 1 से 47 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) लाइट का सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1.	सीएफएल 18 वॉट	50 नग	
2.	सीएफएल 9 वॉट	50 नग	
3.	ट्यूबलाइट रॉड 28 वाट Essential (Extra Slim)	50 नग	
4.	चॉक 28 वाट Essential (Extra Slim)	50	
5.	एक्सटेन्शन बोर्ड	100	
6.	कन्डेनसर ऑयल 4 एमएफडी	100	
7.	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	100	
8.	मल्टी प्लग 15 एएमपी	50	
9.	रेगूलेटर	50	
10.	स्विच 5 एएमपी	100	

11.	सॉकिट 5 एएमपी	50	
12.	स्विच 15 एएमपी	50	
13.	सॉकिट 15 एएमपी	50	
14.	टेप रोल (लाईट के उपयोग हेतु) छोटी	50	
15.	थ्री पिन टॉप 5 एएमपी	50	
16.	थ्री पिन टॉप 15 एएमपी	50	
17.	वायर बण्डल फ्लेक्सीबल	10	
18.	वायर बण्डल 2.5 एमएम	5	
19.	वायर बण्डल 40/76 3 कोर	10	
20.	वायर बण्डल 1.5 एमएम	10	
21.	कूलर पम्प समर्सेवल	60	

22.	मल्टी प्लग 5 एएमपी	30 नग	
23.	ए.सी. कण्डेंसर शॉकिट मय टॉप	5 नग	
24.	2 पिन टॉप 5 एएमपी	30	
25.	2 पिन शॉकिट 5 एएमपी	30	
26.	बेल स्वीच 5 एएमपी	30	
27.	एम.सी.बी. 100 ए.एम.पी.	50	
28.	एम.सी.बी. 25 ए.एम.पी.	25	
29.	आईसोलेटर 63 ए.एम.पी.	20	
30.	न्यूट्रल स्ट्रीप	10	

नोट : क्रम संख्या 1 से 30 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) कम्पयूटर आईटमस्

क्रसं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	पैन ड्राईव 4 जीबी	40	
2	पैन ड्राईव 8 जीबी	50	
3	पैन ड्राईव 16 जीबी	20	
4	कम्प्यूटर माउस (ऑप्टीकल)	40	
5	कम्प्यूटर की–बोर्ड	40	
6	एन्टी ग्लेयर स्कीन मोनिटर हेतु 15 इंच व 17 इंच	10 नग	
प्रिन्टर कार्टेज			
1.	Laserjet 2612 A	50	
2.	Laserjet 388A	20	
3.	Laserjet 436A	20	
4	Laserjet 49A	20	
5.	Laserjet TNP 28S	50	

प्रिन्टर कार्टेज रिफलिंग					
1	Laserjet 436 A	50			
2	Laserjet 2612 A	300			
3	Laserjet 388 A	100			
4	Laserjet 49 A	50			
5	Laserjet TNP 28S	100			
6	Cartidge Drum Kit change	100			
7	Cartidge Blad change	100			
8	Cartidge PCR Rod change	100			
9	Magnet Rode Change	50			

(द) लकडी के आईटमस्

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	साइज	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	प्लाई बोर्ड	19 MM 6X4	5	
2	प्लाई बोर्ड	19 MM 8X4	5	
3	प्लाईवुड	12 MM 6X4	5	
4	प्लाईवुड	8 MM 6X4	5	
5	प्लाईवुड	6 MM 6X4	10	
6	प्लाईवुड	4 MM 6X4	10	
7	सनमाईका सीट	1 MM 8X4	4	
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	5'X2.5' X 1"	10	
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	4'X2.5' X 1"	10	
10	डोर क्लोजर		15	
11	फेवीकॉल (1 लीटर पेक में)		10 लीटर	

12	सांकल कून्दे 9 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)		20 नग	
13	सांकल कून्दे 12 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)		20 नग	
14	ताले–छोटे (दराज/अलमारी)		50 नग	
15	ताले–छोटे (दराज/अलमारी)		50 नग	

COMPUTER ITEMS, ELECTRICAL, WOODEN AND OTHER GENERAL ITEMS

PART – B FINANCIAL BID

Two Bids in separate sealed envelops for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked ***"Technical/Financial Bid for general items to be used for office purpose"*** and submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Ground Floor, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624, 2388059		
3	E-mail	www.rajswasthya.nic.in		
		Date	Time	Place
4	Tender form can be obtained upto	09-09-2014	1:00 PM	DM&HS, Raj. Jaipur Room No.- B-11 (Basement) स्वास्थ्य भवन
5	Tender form can be submitted upto	10-09-2014	1:00 PM	
6	Opening of Technical Bids :-	10-09-2014	3:00 PM	

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened only for those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Signature of Tenderer with

Rubber stemp

Date :-

कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटमस् की सूची

.... के लिए निविदा

निविदाकार का नाम एवं पता ....

वित्तीय बिड (भाग–II)

क्रमांकः

दिनांक :

(अ) जनरल सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दो में
1.	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	100			
2.	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	50			
3.	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	200			
4.	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	150			
5.	दीवार घडी 1 x 1 फुट	20			
6.	इलेक्ट्रीक घंटी	20			
7.	रिमोट घंटी	10			
8.	गिलास कॉच	200			
9.	कप सेट बोन चाइना	50 सेट			

10.	केलकुलेटर 12 डिजीट	50			
11.	पंचिग मशीन मॉडल नं.पी–30	30			
12.	रूम परफ्यूम	50			
13.	स्टेपलर मशीन नं. 10	40			
14.	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	40			
15.	टेबिल ग्लास 3x2	60			
16.	सर्विस ट्रे मिडियम साईज प्लास्टिक	12			
17.	ताला बडी साईज 7 लीवर	60			
18.	थर्मस 1 लीटर	10			
19.	टी–कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट			
20.	तौलिया फुल साइज	100			

21.	नेपकिन	100			
22.	पेन्सिल सेल	300			
23.	टार्च 2 बड़े सैल की	12			
24.	पानी के केम्पर 5 लीटर	10			
25.	बरसाती	20			
26.	डाक बेग	10			
27.	कॉलीन	10			
28.	पाईप बण्डल प्लास्टिक 1/2 इंच	20			
29.	इलेक्ट्रीक टी केटली	10			
30.	टेलीफोन इन्सट्यूमेन्ट	50			
31.	एडजेस्टेबल टेबल टॉप स्टेण्ड	5			

32.	पचिंग मशीन हेवी ड्यूटी	5			
33.	स्टेपलर हेवी ड्यूटी	5			
34.	सिन्टेक्स टंकी के ढक्कन	24			
35.	फ्लोर बॉल 1/2 इंच (टंकियों में लगने वाली)	24			
36.	नल 1/2 इंच वॉश बेसिन	50			
37.	नल 1/2 इंच लॉग हेण्डिल	50			
38.	नल 1/2 इंच शॉर्ट हेण्डिल	50			
39.	लिक्वीड सोप 200 एमएल	30			
40.	हाथ धोने का साबुन 100 ग्राम	100			
41.	वर्तन धोने की टिकिया/साबुन 100 ग्राम	100			
42.	बोतल 250 एमएल चोडा मुह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300			

43.	बोतल 250एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300	
44.	बोतल 500एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
45.	बोतल 500एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
46.	प्लास्टिक जॉर 1 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
47.	प्लास्टिक जॉर 2 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	

नोट : क्रम संख्या 1 से 47 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) लाइट का सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दो में
1.	सीएफएल 18 वॉट	50 नग			
2.	सीएफएल 9 वॉट	50 नग			
3.	ट्यूबलाइट रॉड 28 वाट Essential (Extra Slim)	50 नग			
4.	चॉक 28 वाट Essential (Extra Slim)	50			
5.	एक्सटेन्शन बोर्ड	100			
6.	कन्डेनसर ऑयल 4 एमएफडी	100			
7.	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	100			
8.	मल्टी प्लग 15 एएमपी	50			
9.	रेगूलेटर	50			
10.	स्विच 5 एएमपी	100			

11.	सॉकिट 5 एएमपी	50			
12.	स्विच 15 एएमपी	50			
13.	सॉकिट 15 एएमपी	50			
14.	टेप रोल (लाईट के उपयोग हेतु) छोटी	50			
15.	थ्री पिन टॉप 5 एएमपी	50			
16.	थ्री पिन टॉप 15 एएमपी	50			
17.	वायर बण्डल फ्लेक्सीबल	10			
18.	वायर बण्डल 2.5 एमएम	5			
19.	वायर बण्डल 40/76 3 कोर	10			
20.	वायर बण्डल 1.5 एमएम	10			
21.	कूलर पम्प समर्सेवल	60			

22.	मल्टी प्लग 5 एएमपी	30 नग	
23.	ए.सी. कण्डेंसर शॉकिट मय टॉप	5 नग	
24.	2 पिन टॉप 5 एएमपी	30	
25.	2 पिन शॉकिट 5 एएमपी	30	
26.	बेल स्वीच 5 एएमपी	30	
27.	एम.सी.बी. 100 ए.एम.पी.	50	
28.	एम.सी.बी. 25 ए.एम.पी.	25	
29.	आईसोलेटर 63 ए.एम.पी.	20	
30.	न्यूट्रल स्ट्रीप	10	

नोट : क्रम संख्या 1 से 30 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) कम्पयूटर आईटमस्

क्रसं.	नाम सामग्री / आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी / मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दों में
1	पैन ड्राईव 4 जीबी	40			
2	पैन ड्राईव 8 जीबी	50			
3	पैन ड्राईव 16 जीबी	20			
4	कम्प्यूटर माउस (ऑप्टीकल)	40			
5	कम्प्युटर की–बोर्ड	40			
6	एन्टी ग्लेयर स्कीन मोनिटर हेतु 15 इंच व 17 इंच	10 नग			
प्रिन्टर कार्टेज					
1.	Laserjet 2612 A	50			
2.	Laserjet 388A	20			
3.	Laserjet 436A	20			
4	Laserjet 49A	20			
5.	Laserjet TNP 28S	50			

प्रिन्टर कार्टेज रिफलिंग					
1	Laserjet 436 A	50			
2	Laserjet 2612 A	300			
3	Laserjet 388 A	100			
4	Laserjet 49 A	50			
5	Laserjet TNP 28S	100			
6	Cartidge Drum Kit change	100			
7	Cartidge Blad change	100			
8	Cartidge PCR Rod change	100			
9	Magnet Rode Change	50			

(द) लकडी के आईटमस्

क्र. सं.	नाम सामग्री / आईटम	साइज	अनुमानित मात्रा	कम्पनी / मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
					अंको में	शब्दो में
1	प्लाई बोर्ड	19 MM 6X4	5			
2	प्लाई बोर्ड	19 MM 8X4	5			
3	प्लाईवुड	12 MM 6X4	5			
4	प्लाईवुड	8 MM 6X4	5			
5	प्लाईवुड	6 MM 6X4	10			
6	प्लाईवुड	4 MM 6X4	10			
7	सनमाईका सीट	1 MM 8X4	4			
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	5'X2.5' X 1"	10			
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	4'X2.5' X 1"	10			
10	डोर क्लोजर		15			
11	फेवीकॉल (1 लीटर पेक में)		10 लीटर			

12	सांकल कून्दे 9 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)		20 नग			
13	सांकल कून्दे 12 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)		20 नग			
14	ताले–छोटे (दराज/अलमारी)		50 नग			
15	ताले–बड़े (दराज/अलमारी)		50 नग			

Cignature of Tenderer with
Rubber stemp